संख्या-19/2025/001-383-12-5-20-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 06-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/अभि०/536/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 05 फरवरी, 2025 एवं पत्रांक-भू०सं०/अभि०/585/जिप्सम पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 05 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 06-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 31.26 लाख (रूपये इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-730, दिनांक 21 मार्च, 2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसके सापेक्ष धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
5. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,26,000 (रुपये इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2402001030600 मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-19/2025/001-383-12-5-20-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20242025-12-5-20-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090500 (आत्मनिर्भर कृपक समन्वित विकास योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	62,43,08,353 रुपये बासठ करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार तीन सौ तिरेपन मात्र	-31,26,000 रुपये इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र	3126000 -	996874000 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001030600 (मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण)	27 (सब्सिडी)	2,84,05,000 रुपये दो करोड़ चौरासी लाख पाँच हजार मात्र	31,26,000 रुपये इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र	-3126000	31531000 -	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- आत्म निर्भर कृषि समन्वित विकास योजना में कुल अनुदान संख्या-11 में कार्ययोजना (मांग) से अधिक प्राविधान होने के कारण बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिप्सम वितरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 284.05 लाख से यूपी स्टेट एग्रो के गत वर्षों के लम्बित अनुदान की धनराशि रू० 31.26 लाख का भुगतान किये जाने तथा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शतप्रतिशत जिप्सम आपूर्ति होने के कारण अवशेष देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर ई-< बजट-1-730 > -2024-25, दिनांक 21 मार्च ~~फरवरी~~, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 20-03-2025 13:59:52

(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-A012-20242025-12-5-20-2025, दिनांक 21 मार्च फ़रवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।
